सत्र प्रकरण क्र० 213/2025
शासन विरुद्ध ममता साहू वगै.

Witness no. **…03...**.....for ....**अभियोजन साक्ष्य**.................Deposition taken

the …**08−01−2026**.......day of ..**गुरूवार**.. Witness's Apparent Age …**47** Years.....

States on affirmation ….**शपथपूर्वक**..........My name is …..**.नागेन्द्र सिंह...** ....

S/ of ….....**स्व. श्री कृष्ण प्रताप सिंह**... Occupation …......**सहायक उपनिरीक्षक**... ... ...

address–**...... थाना सिविल लाईन, जिला रायपुर छ.ग.** ... ...

साक्ष्य प्रारंभ –01.00 पी०एम० ।

मुख्यपरीक्षण द्वारा कु. पूजा मोहिते अतिरिक्त लोक अभियोजक –

01. मैं थाना सिविल लाईन में मई 2022 से वर्तमान तक सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं । उप पुलिस अधीक्षक रेंज साईबर थाना रायपुर से थाना सिविल लाईन रायपुर को एक प्रतिवेदन दिनांक 22.03.2025 का प्राप्त हुआ था, जो **प्रदर्श पी−155** है, उक्त आधार पर मेरे द्वारा दिनांक 23.03.2025 को अपराध क्रमांक 129/25 के तहत् प्रथम सूचना पत्र तैयार किया था, जो **प्रदर्श पी−156** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री प्रदीप गिरी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त श्रवण देवांगन, आकाश ताण्डी

02. मेरे द्वारा साईबर सेल से जानकारी प्राप्त होने के आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है । मेरे द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किये जाने के उपरांत प्रकरण से संबंधित कोई विवेचना नहीं की गई है । धारा 317 बीएनएस के अंतर्गत् चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा बताई गई है, स्वतः कहा कि, धारा 317 बीएनएस के अंतर्गत् चुराई हुई संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा, या उद्यापन द्वारा, लूट या छल द्वारा आंतरित किया गया है । यह कहना सहीं है कि, साईबर रेंज थाना द्वारा उप पुलिस अधीक्षक रायपुर के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु प्रेषित किया गया था उसमें चोरी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।

03. यह कहना सहीं है कि, धारा 317(2) बीएनएस के तहत् रेंज साईबर थाना उप पुलिस अधीक्षक रायपुर के माध्यम से प्राप्त तहरीर में ऐसा कहीं लेख नहीं किया गया है कि, किसी चुराई हुई संपत्ति को यह विश्वास करते हुए कि, वह संपत्ति चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त की गई थी । यह कहना सहीं है कि, धारा 317(4) बीएनएस के तहत् यह भी उल्लेखित नहीं है कि, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त कर अपने कब्जे में रखा गया हो । यह कहना सहीं है कि, धारा 317(5) बीएनएस के तहत् मुझे प्राप्त प्रतिवेदन में यह भी लेख नहीं किया गया है कि, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में या व्यनित करने में स्वेच्छयापूर्वक सहायता की हो ।

04. मेरे द्वारा धारा 111 बीएनएस संगठित अपराध मानते हुए दर्ज किया गया था । यह कहना सहीं है कि, धारा 111 बीएनएस के तहत् संगठित अपराध तब गठित होता है जबकि किसी समूह के द्वारा सतत् विधि विरूद्ध क्रियाकलाप किया जाता हो । यह कहना सहीं है कि, सतत् विधि विरूद्ध क्रियाकलाप के तहत् संगठित सिंडिकेट सदस्य के द्वारा पूर्ववर्ती अवधि में एक से अधिक आरोप पत्र 10 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत किये गये हों तब धारा 111 बीएनएस आकर्षित होती है ।

05. यह कहना सहीं है कि, मेरे द्वारा उपरोक्त प्रकरण की बिना विवेचना किये थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 129/25 अंतर्गत् धारा 317(2), 317 (4), 317(5), 111, 3(5) बीएनएस के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि, जब धारा 111 बीएनएस के तहत् अपराध आपने दर्ज किया तो धारा 3(5) बीएनएस कैसे लगाया, इस पर साक्षी का कहना है कि, आरोपियों की संख्या अधिक होने के कारण मेरे द्वारा धारा 3(5) बीएनएस लगाया गया था । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि, जब धारा 3(5) बीएनएस आपके द्वारा लगाया गया है तो धारा 111 बीएनएस नहीं लगेगी, इस पर साक्षी का कहना है कि, सिंडिकेट का अपराध था इसलिए धारा 111 बीएनएस मेरे द्वारा लगायी गई है ।

06. यह कहना सहीं है कि, उच्च अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मेरे द्वारा प्रथम सूचना पत्र बिना कोई विवेचना किये दर्ज कर दी गई थी ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एम एम तिवारी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त शिव निर्मलकर, यशवंत नायक

07. यह कहना सहीं है कि, मेरे द्वारा प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी–156 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध लेखबद्ध किया गया था । यह कहना सहीं है कि, मेरे द्वारा प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी–156 में उल्लेखित कथित तथ्यों के संबंध में विवेचना नहीं की गई है । यह कहना सहीं है कि, मैं नहीं बता सकता कि, प्रदर्श पी–156 प्रथम सूचना पत्र में उल्लेखित तथ्य सहीं है या गलत । मेरे द्वारा रेंज साईबर के प्रतिवेदन से प्रथम सूचना पत्र उल्लेखित किया हूं, उसकी सत्यता एवं प्रमाणिकता के संबंध में मैं नहीं बता सकता ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कैलाश वर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रवि कुमार, कामनी ग्वाल

08. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिवाकर सिन्हा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रितिक शर्मा

09. यह कहना सहीं है कि, प्रदर्श पी–155 के प्रतिवेदन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि, किस धारा के अंतर्गत् प्रकरण दर्ज करना है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राजकुमार कडोले अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त मनोज जांगड़े

10. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जे पी पाठक अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त ज्योति मिश्रा, अभिषेक शर्मा

11. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री भूपेन्द्र साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह धुन्ना, निखिल आहुजा

12. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जगदीश चंद्र नायक अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त बंटी भोजवानी</u>

13. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राजेश टंडन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रोहित कस्तूरिया</u>

14. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री भूपेन्द्र साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह धुन्ना, निखिल आहुजा</u>

15. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती वर्षा राठौर अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त संजय माखिजा</u>

16. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सुधांशु श्रीवास्तव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त मोह. अमन, शेख सोहेब</u>

17. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अरूण कुमार मिश्रा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अजय कुमार साहू</u>

18. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री फैसल रिजवी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण प्रवीण कुमार दुबे, इशिका सिंह, हर्ष सोनी, संजय जशवानी, मोह. शब्बीर, आशीष कलवानी</u>

19. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कैलाश वर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण कामिनी ग्वाल, रवि कुमार ध्रुव</u>

20. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री चंद्रशेखर चंद्रकार अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण अभिनव नागवंशी</u>

21. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती इंद्राणी चौधरी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त कृष्णा घोड़ेसवार</u>

22. कुछ नहीं

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आशुतोष दुबे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रवि पंजवानी</u>

23. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री असीम विश्वकर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त मोहित मंडावी</u>

24. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सुभाष कुर्रे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पृष्वीराज सागरिया</u>

25. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अखिलेश सोनी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त ममता साहू एवं भूमिका नायक</u>

26. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मातामणी तिवारी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त शिव कुमार निर्मलकर, जसवंत नायक</u>

27. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री टी०एस०सेठ अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त प्रदीप जामुलकर</u>

28. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अंकित फुलझेले अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त हर्ष कुमार सोनी, भरत परिहार, मनीष कुमार यादव</u>

29. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आयुष वर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अनील क्षत्रीय</u>

30. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अलीमुद्दीन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त गौरव मचखंड</u>

31. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा सुश्री रानी देवांगन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त राजेश ताण्डी, सचिन कुमार गिरी</u>

32. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री लोकेश कुमार मिश्रा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त राजेश मंधानी एवं अविनाश</u>

33. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा सुश्री सरिता कुर्रे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त जोगेश सोना, तरूण क्षत्रिय, दिलीप सोना</u>

34. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एन के शाडिल्य अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त जितेन्द्र महानंद</u>

35. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त कमलेश मुगरी</u>

36. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सी पी सोनी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त जय बघेल</u>

37. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मोहम्मद वसीम अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त भावेश उदवानी, शुभम कोरी</u>

38. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जे एल सोनबेर अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार, कृष्णा यादव</u>

39. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस अहमद अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अब्दुल गनी</u>

40. कुछ नहीं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ऋषभ मिश्रा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त बज्रू शर्मा</u>

41. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री लाकेश्वर चंद्राकर अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त समीर बजाज, दिलीप बजाज

42. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रमेश कुमार साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त निखिल चावला

43. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अभिषेक टंडन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रूपेश महानंद, चंद्रमुखी सिन्हा एवं पूजा ध्रुव

44. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दीपांकर बेनर्जी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त जयंत घोष

45. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रत्नेश दास अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त किशोर छाबड़ा

46. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आकाश जसूजा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त संजय माखीजा, प्रियेश यादव व बॉबी खत्री

47. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री फईम खान (डिप्टी चीफ लीगल एण्ड डिफेंस काउंसल) वास्ते शेष अभियुक्तगण

48. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण समाप्त– 01.54 पी०एम०।

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया ।

सहीं/-
(बृजेश राय)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला –रायपुर छ.ग.

BRIJESH RAI
Digitally signed by BRIJESH RAI

सहीं/-
(बृजेश राय)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला –रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर ... ...